भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1544
11 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में श्रमशक्ति

1544. डॉ. लोरहो फोज़:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की कमी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कुशल श्रमशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) किस उद्देश्य के लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एमएसडीसी) से सहायता प्राप्त खाद्य उद्योग एवं क्षमता कौशल पहल (एफआईसीएसआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एमएसडीई, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चार वर्षों अर्थात वर्ष 2016-2020 तक के लिए लघु आवधिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के अंतर्गत एक करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने और पूरे देश में पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के नाम से एक फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । पीएमकेवीवाई का कार्यान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित 37 सेक्टरों में किया जा रहा है । स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार मानदंडों को पूरा करने वाले सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों अर्थात एससी/एसटी तथा ओबीसी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है । 17 जनवरी, 2020 तक 0.30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/अभिविन्यासित किया गया है जिनमें से 0.24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को खाद्य प्रसंस्करण में प्रमाणित किया गया है ।

एमएसडीई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चार वर्षों अर्थात 2016-2020 तक के लिए पीएमकेवीवाई का बजट परिव्यय 12000 करोड़ रुपए है ।

*****